न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 278/2024

नन्दराम पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी बांसड़ा मेहरान तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी बांसड़ा मेहरान तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री महावीर मालाकार

दिनांक 15.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर मालाकार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 183/2 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 183/4 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183/7 रकबा 0.6372 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183/9 रकबा 0.6472 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.9043 हैक्टेयर स्थित है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार है। अलग अलग खसरा नं., अलग अलग खाता नं. कायम न होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य आये दिन कब्जे काश्त को लेकर वाद विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है। प्रार्थी के काबिज हिस्से में मिट्टी खोदकर भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करते है, मिट्टी खोदते है व उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक है। दिनांक 10.12.2024 को सुबह प्रार्थी अपने खेत पर काश्त कर रहा था तभी अप्रार्थी व उसके नौकर चाकर एजेन्ट ने उक्त भूमि का नींव सीव से जमाबन्दी हिस्से अनुसार व काबिज अनुसार बँटवारा नहीं होने के कारण व अलग अलग खसरा कायम नहीं होने के कारण प्रार्थी के काश्त में व्यवधान उत्पन्न किया तथा प्रार्थी के काबिज हिस्से से अप्रार्थी ने मिट्टी खोदकर पैड़ों को उखाड़ने का प्रयास किया तथा भूमि के ढलान में परिवर्तन करने का प्रयास किया जिसे प्रार्थी ने विफल कर दिया जिसके कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ व निरन्तर जारी है तथा मिट्टी खोदकर, नीवें खोदकर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हिस्से भू भाग काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं प्रार्थी के काबिज हिस्से भू भाग में अप्रार्थी द्वारा पैड़ों को उखाने व भूमि के ढलान में परिवर्तन नहीं करे जब तक कि भूमि का मय नींव सीव से बँटवारा नहीं हो। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी अपने मन्सूबे में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थना प्रार्थी है कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित ग्राम कुचील स्थित भूमि का मय नींव सीव से बँटवारा नहीं होने तक अप्रार्थी उक्त भूमि में मिट्टी नहीं खोदे व नींवे खोदकर पक्का निर्माण नहीं करे, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करे भूमि के ढलान में परिवर्तन नहीं करे और प्रार्थी के हिस्से में काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे व पैड़ नहीं काटे इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा दावे के निस्तारण तक प्रार्थी को देने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 11.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 जगदीश ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के जवाब में लेख है उक्त पैरा के कथन राजस्व रिकार्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

ना पत्र के पैरा संख्या 1 के जवाब में लेख है उक्त पैरा के कथन राजस्व रिकार्ड अनुसार कार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 के जवाब में लेख है कि प्रार्थी ने मिथ्यों तथ्यों के धार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं जवाबकर्ता मौके पर अपने अपने निहित हिस्सा अनुसार काबिज काश्तकार है प्रार्थी व जवावकर्ता के मध्य उक्त भूमि का मौखिक बंटवारा हो रखा है व मौखिक बंटवारे अनुसार प्रार्थी व जवाबकर्ता कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है, और जवाबकर्ता ने कभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यधान कारित नहीं किया है। प्रार्थी ने मौखिक बंटवारें अनुसार उक्त भूमि पर अपना मकान निर्मित करवा रखा है तथा जवाबकर्ता भी अपने मौखिक बंटवारे से प्राप्त भूमि में मकान का बनवाने का कार्य निर्माणाधीन है। कि प्रार्थी व जवाबकर्ता कई वर्षो से मौखिक बंटवारा कर काबिज होकर काश्त करते कराते आ रहें है और मौखिक सहमति अनुसार ही प्रार्थी ने लगभग 20 वर्ष पूर्व ही अपना मकान निर्मित करवा लिया था। अब वर्तमान में प्रार्थी व उसके परिजनों को रहवास के लिये मकान की आवश्यकता होने से उन्होनें मौखिक बंटवारे से प्राप्त हिस्सेशुदा भूमि में अपना निर्माण कार्य चालू करवाया है। वर्तमान में प्रार्थी व जवाबकर्ता के मध्य घरेलु व जमीनी विवादों के चलते अविधिक तथ्यों के आधार पर प्रार्थी ने झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाबकर्ता ने कई मर्तबा प्रार्थी को अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करने के लिये कहा था, लेकिन प्रार्थी के मन में दुर्भावना होने से तथा उक्त भूमि को विवादित करने के उद्देश्य से प्रार्थी हमेशा जवाबकर्ता को टालमटोल करता। जवाबकर्ता आज भी अपनी उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपने निहित हिस्से 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी स्थिति (By meets and bounds) अनुसार बंटवारा करवाने के लिये तैयार है। अतः पैरा संख्या 2 व 3 के कथन मिथ्या एवं गलत होने से अस्वीकार है तथा उक्त परिप्रेक्ष्य मे पैरा संख्या 2 व 3 का जवाब प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के जवाब में लेख है कि प्रार्थी व जवावकर्ता मौखिक बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा प्रार्थी झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जिसने जवाबकर्ता व प्रार्थी को मौखिक बंटवारे से प्राप्त भूमि में स्वयं तो निर्माण कार्य कर लिया तथा जब जवाबकर्ता ने अपने आवास के निर्माण के लिये कार्य चालू करवाया तो प्रार्थी के मन में दुर्भावना होने से प्रार्थी, जवाबकर्ता के कार्य व उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करने के उद्देश्य से झुठा प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी को प्रदत्त की जाती है तो प्रार्थी की बजाय जवाबकर्ता के हित अधिकार प्रभावित होंगे और जवाबकर्ता को उसके हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में पैरा संख्या 4 का जवाब प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 व 6 के जवाब में लेख है कि उक्त पैरा के कथन कानूनी है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में जवाबकर्ता का भी 1/2 हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण जवाबकर्ता के पक्ष में भी है एवं जवाबकर्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अन्तरिम व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो जवाबकर्ता को काफी असुविधा होगी और जवाबकर्ता को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा नाजायज उद्देश्य की पूर्ति के लिये अविधिक आधारों पर झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के कोई भी बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना पत्र के अंतिम पैरा के कथन प्रार्थना प्रार्थी है जो जवाबकर्ता के हित अधिकारों तक स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी जवाबकर्ता को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रार्थी किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र मात्र जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने एवं नाजायज तरीके व दुराश्य से पेश किया गया है जो भारी हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें, तथा जवाबकर्ता आज भी अपनी उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपने निहित हिस्से 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी स्थिति (By meets and bounds) अनुसार बंटवारा करवाने के लिये तैयार है, यदि उक्त भूमि में जवाबकर्ता के निहित हिस्से 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी स्थिति (By meets and bounds) अनुसार बंटवारा किये जाने के न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है तो उसमें जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

ना पत्र के पैरा संख्या 1 के जवाब में लेख है उक्त पैरा के कथन राजस्व रिकार्ड अनुसार कार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 के जवाब में लेख है कि प्रार्थी ने मिथ्यों तथ्यों के ार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं जवाबकर्ता मौके पर अपने अपने निहित हिस्सा अनुसार काबिज काश्तकार है प्रार्थी व जवावकर्ता के मध्य उक्त भूमि का मौखिक बंटवारा हो रखा है व मौखिक बंटवारे अनुसार प्रार्थी व जवाबकर्ता कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है, और जवाबकर्ता ने कभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यधान कारित नहीं किया है। प्रार्थी ने मौखिक बंटवारें अनुसार उक्त भूमि पर अपना मकान निर्मित करवा रखा है तथा जवाबकर्ता भी अपने मौखिक बंटवारे से प्राप्त भूमि में मकान का बनवाने का कार्य निर्माणाधीन है। कि प्रार्थी व जवाबकर्ता कई वर्षो से मौखिक बंटवारा कर काबिज होकर काश्त करते कराते आ रहें है और मौखिक सहमति अनुसार ही प्रार्थी ने लगभग 20 वर्ष पूर्व ही अपना मकान निर्मित करवा लिया था। अब वर्तमान में प्रार्थी व उसके परिजनों को रहवास के लिये मकान की आवश्यकता होने से उन्होनें मौखिक बंटवारे से प्राप्त हिस्सेशुदा भूमि में अपना निर्माण कार्य चालू करवाया है। वर्तमान में प्रार्थी व जवाबकर्ता के मध्य घरेलु व जमीनी विवादों के चलते अविधिक तथ्यों के आधार पर प्रार्थी ने झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाबकर्ता ने कई मर्तबा प्रार्थी को अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करने के लिये कहा था, लेकिन प्रार्थी के मन में दुर्भावना होने से तथा उक्त भूमि को विवादित करने के उद्देश्य से प्रार्थी हमेशा जवाबकर्ता को टालमटोल करता। जवाबकर्ता आज भी अपनी उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपने निहित हिस्से 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी स्थिति (By meets and bounds) अनुसार बंटवारा करवाने के लिये तैयार है। अतः पैरा संख्या 2 व 3 के कथन मिथ्या एवं गलत होने से अस्वीकार है तथा उक्त परिप्रेक्ष्य मे पैरा संख्या 2 व 3 का जवाब प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के जवाब में लेख है कि प्रार्थी व जवावकर्ता मौखिक बंटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा प्रार्थी झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जिसने जवाबकर्ता व प्रार्थी को मौखिक बंटवारे से प्राप्त भूमि में स्वयं तो निर्माण कार्य कर लिया तथा जब जवाबकर्ता ने अपने आवास के निर्माण के लिये कार्य चालू करवाया तो प्रार्थी के मन में दुर्भावना होने से प्रार्थी, जवाबकर्ता के कार्य व उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करने के उद्देश्य से झुठा प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी को प्रदत्त की जाती है तो प्रार्थी की बजाय जवाबकर्ता के हित अधिकार प्रभावित होंगे और जवाबकर्ता को उसके हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में पैरा संख्या 4 का जवाब प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 व 6 के जवाब में लेख है कि उक्त पैरा के कथन कानूनी है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में जवाबकर्ता का भी 1/2 हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण जवाबकर्ता के पक्ष में भी है एवं जवाबकर्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अन्तरिम व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो जवाबकर्ता को काफी असुविधा होगी और जवाबकर्ता को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा नाजायज उद्देश्य की पूर्ति के लिये अविधिक आधारों पर झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के कोई भी बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना पत्र के अंतिम पैरा के कथन प्रार्थना प्रार्थी है जो जवाबकर्ता के हित अधिकारों तक स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी जवाबकर्ता को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रार्थी किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र मात्र जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने एवं नाजायज तरीके व दुराश्य से पेश किया गया है जो भारी हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें, तथा जवाबकर्ता आज भी अपनी उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपने निहित हिस्से 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी स्थिति (By meets and bounds) अनुसार बंटवारा करवाने के लिये तैयार है, यदि उक्त भूमि में जवाबकर्ता के निहित हिस्से 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी स्थिति (By meets and bounds) अनुसार बंटवारा किये जाने के न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है तो उसमें जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

...क 15.10.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया ...या पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी के ...भाजन तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी द्वारा मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र में सहमति का जवाब पेश किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 सहखातेदार है एवं विभाजन हेतु अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई है, धारा 53 राज.का.अधि. के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर सहखातेदार होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी काबिज काश्त है, विभाजन हेतु अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज अथवा गवाह पेश नहीं किया गया जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी से अपूरणिय क्षति कारित हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)